



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249547  
CG-DL-E-18102023-249547

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2023

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

- क्रम संख्या 130, 139 और 141 को विलोपित किया जाएगा।
- क्रम संख्या 192 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
193	श्रीमती सरिता मंगेश सावंत जियो-केम लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड, मुंबई
194	श्री शेषगिरी. बी. जी आई ए डी एफ ए सी प्रयोगशालाएँ प्रा. लिमिटेड, बंगलुरु
195	सुश्री कीर्ति विवेक पालेकर

	प्रोकॉम प्रयोगशाला, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड, मुंबई
196	श्री बड्डेला मनोहर एनसीएमएल के साथ पीपीपी में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, चेन्नई
197	श्री आशिम डे टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा
198	श्री मुकुंद दरगर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला विस्तार केंद्र, रक्सौल

जी. कमलावर्धन राव, (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)  
[विज्ञापन-III/4/असा./491/2023-24]

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021;
2. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 15 फरवरी, 2022;
3. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 10 जून, 2022;
4. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 17 अगस्त, 2022;
5. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 18 नवम्बर, 2022;
6. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 28 नवम्बर, 2022;
7. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 27 जनवरी, 2023;
8. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 23 मार्च, 2023;
9. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 18 मई, 2023, और
10. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 12 सितम्बर, 2023।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2023

**F. No. 12015/05/2021-QA.**—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F.No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2<sup>nd</sup> July, 2021, namely: -

Sl. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
193	Mrs. Sarita Mangesh Sawant Geo-Chem Laboratories Pvt. Ltd., Mumbai
194	Mr. Sheshagiri. B. G IADFAC Laboratories Pvt. Ltd., Bangalore
195	Ms. Kirti Vivek Palekar ProComm Laboratory, National Bulk Handling Corporation Pvt. Ltd., Mumbai
196	Mr Baddela Manohar National Food Laboratory in PPP with NCML, Chennai

197	Mr Ashim Dey TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana
198	Mr Mukund Dargar National Food Laboratory extension centre, Raxaul

In the table,

1. Serial number 130, 139 and 141 shall be omitted;
2. after serial number 192, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

G. KAMALA VARDHANA RAO, (Chief Executive Officer)

[ADVT.-III/4/Exty./491/2023-24]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2<sup>nd</sup> July 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30th November, 2021;
2. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 15th February, 2022;
3. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 10th June, 2022;
4. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 17th August, 2022;
5. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 18th November, 2022;
6. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 28th November, 2022;
7. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 27th January, 2023;
8. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 23rd March, 2023;
9. F. No. 12015/05/2021-QA, 18th May, 2023; and
10. F. No. 12015/05/2021-QA, 12th September, 2023.